कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय मऊ।

सूचना

दिनांकः 08/3/2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय परिसर मऊ में 2 अदद जलपान, 2 अदद पान की दुकान, 2 अदद फलशर्बत, 2 अदद फोटो स्टेट, 1 अदद वाहन स्टैण्ड, 1 अदद स्टेशनरी, 1 अदद चना ठेला, 1 अदद झटपट फोटोग्राफर की दुकान रखने हेतु स्थान की वित्तिय वर्ष 2019–20 अवधि के लिए नीलामी दिनांक 23.03.2019 को 1.00 बजे दिन में सभाकक्ष में होगी। दुकान स्थान हेतु नीलामी निम्नलिखित शर्त के अधीन की जायेगी।

1. नीलामी मे बोली बोलने हेतु वे व्यक्ति ही अर्ह होगें जो बोली बोलने के पूर्व निर्धारित सेक्योरिटी जो निम्नवत है, जनपद न्यायालय के नजारत मे जमा करेगे।

क्रमसंख्या	दुकान स्थान	जमानत धनराशि	दुकान संख्या
1-	वाहन स्टैण्ड	30000.00	01
2-	जलपान	15000.00	02
3-	फलशर्वत	4000.00	02
4-	फोटो स्टेट	15000.00	02
5-	स्टेशनरी	2000.00	01
6-	चना ठेला	1000.00	01
7-	झटपट फोटो ग्राफर	15000.00	01
8-	पान की दुकान	3000.00	02

2. नीलामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए होगी और ठेका यदि पहले किसी कारण से समाप्त नही किया गया तो 31.03.2020 को वित्तीय वर्ष पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकार की जायेगी वह निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध होगा।

(क) वह ठेके को स्वतः चलायेगा अन्य क़िसी व्यक्ति को ठेका चलाने की अनुमति नही देगा। वह व्यक्ति अपनी दुकान को किसी अन्य रिश्तेदार सगे सम्बन्धी को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि दुकान के स्थानान्तरण की बात संज्ञान में ली गई तो जिला जज महोदय को अधिकार होगा कि उस दुकान का ठीका निरस्त कर दे और जमा धनराशि जब्त कर लेंवे।

(ख) किसी अवाछनीय व्यक्ति को दुकान के स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा एवं दुकान पर प्रदूषण उत्पन्न नही करेगा जिससे खाद्य पदार्थ या उपर्युक्त प्रयोजन हेतु प्रयोग होने वाले सामानों को छोडकर दुकान में किसी अन्य वस्तु को न तों संग्रह करेगा और न बेचेगा और न उन्हें विक्रय हेतु प्रदर्शित करेगा।

सामान बाजार मूल्य या उस मूल्य पर जो जिला जज द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाय, बेचे जायेंगे।

(ग) खाद्य सामग्री शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक एवं अनापत्तिजनक होगी तथा उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जैसी जिला जज द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट आदेशित किया जाय।

(घ) कैण्टीन के लिए प्रयोगार्थ स्थान स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित सदैव रखना होगा और सभी

प्रकार के बचाव के उपाय करने होगे ताकि खाद्य पदार्थ पर मक्खियां धूल व अन्य कोई गन्दगी न पहुंच सके।

(च) दुकान के सम्बन्ध में जिला जज के निर्णयो से आबद्ध होना पडेगा और जिला जज का ओदश अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(छ) लाइसेंस लिखित रूप से एक माह की पूर्व सूचना पर भी जिला जज महोदय द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

(ज) विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य सामग्री अस्वास्थकारी एवं आपत्तिजनक पाये जानें पर उसकी बिक्री प्रतिबन्धित की जा सकेगी और उस स्थिति में उस सामान को नष्ट करना होगा और यदि पुनः उस प्रकार का अस्वस्थकारी और आपत्तिजनक खाद्य सामग्री की बिक्री होती प्रदर्शित की जायेगी या उसकी बिक्री होती पायी जायेगी तो बिना किसी क्षति पूर्ति या पूर्व सूचनाके ठेकेदार का लाइसेंस समाप्त कर दिया जा सकेगा।

(झ) निलामी के समय सबसे ऊॅची बोली बोलने वालों की बोली की चौथाई धनराशी तत्काल जमा करना होगा। समय से धनराशी जमा न करने पर जिला जज महोदय को लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं दूसरे नम्बर पर बोली बोलने वालें को दुकान दे दिया जायेगा।

(ट) ठेकेदार नगर पालिका के द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स, यदि कोई हो, अदायगी का जिम्मेदार होगा।

(ठ) विशेष परिस्थिति में जिला जज महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये ही लाइसेंस समाप्त कर दें।

(ड) जिला जज महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वह सबसे ऊंची बोली बोलने वाले की नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

(ढ) जिस ठेकेदार के पास किसी ठीके से सम्बन्धित वर्तमान समय में कोई धनराशि बकाया रहती है या बकाया है, वह ठीके में भाग नहीं ले सकेगा और यदि वह किसी प्रकार ठीका प्राप्त भी कर लेता है तो उसकी ठीका जिला जज महोदय द्वारा इस बात की जानकारी होने पर निरस्त किया जा सकेगा और ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान की नीलामी पुनः की जायेगी।

(त) एक व्यक्ति द्वारा एक ही दुकान की बोली में भाग लिया जा सकता है।

(थ) नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्ति फोटो युक्त पहचान पत्र की फोटो कापी नीलामी कार्यवाही के पूर्व जमा करेगें।

(द) जो ठेकेदार वर्ष 2019–20 में ठेके की धनराशि पूर्ण रूप से जमा नहीं किये है वे ठेकेदार वर्ष 2019–20 की नीलामी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।

(य) ठेके की समस्त धनराशि दिनांक 31.01.2020 तक नजारत में आवश्यक रूप से जमा किया जायेगा। ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा न होनें पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
जनपद न्यायालय, मऊ